



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001

फोन/Phone: 022- 22660502



16 नवंबर 2021

विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) - अंतरिम सिफारिशें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने [15 अप्रैल 2021 की प्रेस विज्ञप्ति](#) के माध्यम से एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। आरआरए 2.0 का उद्देश्य विनियामक निर्देशों की समीक्षा करना, अनावश्यक और डुप्लिकेट निर्देशों को हटाना, रिपोर्टिंग संरचना को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करना, अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां संभव हो, पेपर-आधारित विवरणी जमा करने से बचना है। यह भी परिकल्पना की गई थी कि आरआरए इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ आंतरिक और बाहरी रूप से शामिल होगा। आरआरए ने श्री स्वामीनाथन जे., प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में आरई का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सलाहकार समूह भी गठित किया है।

2. आरआरए उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन में आसानी के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी निर्देशों की समीक्षा पर आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श में शामिल है। इन परामर्शों और सलाहकार समूह के सुझावों के आधार पर, आरआरए ने सिफारिशों के पहले चरण में 150 परिपत्रों को वापस लेने की सिफारिश की है।

3. वापस लेने के लिए अनुशंसित विशिष्ट निर्देशों की सूची वाली अधिसूचनाएं अलग से जारी की जा रही हैं।

प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1202

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबंधक